

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: आदेश ::


आदेश सं०-5/आरोप-1-147/2017 का०-10456/राँची, दिनांक 09 अक्टूबर, 2017
श्री अरूण उराँव, झा०प्र०से०, चतुर्थ बैच, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
नावाडीह, बोकारो के विरुद्ध उपायुक्त, बोकारो के ज्ञापांक-604/स्था०, दिनांक-26.09.
2017 द्वारा श्री उराँव को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक-19.09.2017 को गिरफ्तार कर
न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

2. अतः श्री उराँव झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)
नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि
19.09.2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित समझे जायेंगे।

3. न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के बाद ये कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा
राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का कार्यालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची में योगदान देंगे।


4. निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं
अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


9.10.17
(सूर्य प्रकाश)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 5/आरोप-1-147/2017 का०-10456/राँची, दिनांक 09 अक्टूबर, 2017
प्रतिलिपि- मंडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा
राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री,
झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय प्रधान सचिव
कोषांग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड,
राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, उ०छो० प्रमंडल, हजारीबाग/उपायुक्त, बोकारो/अवर सचिव,
वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार,
बोकारो/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव,
प्रशाखा-6 (चारित्री कोषांग)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5/श्री अरूण उराँव, झा०प्र०से०,
द्वारा-अधीक्षक, मंडल कारा, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


9.10.17
सरकार के संयुक्त सचिव।